

2022-23

1/31469/2022

संख्या: 87/XXXIX/22-02(बजट)/2022

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,

देहरादून।

भाषा अनुभाग देहरादून: दिनांक: 27 अप्रैल, 2022
विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा अनुदान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-05/02(01)/उ.भा.स./2022-23, दिनांक 13-04-2022 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या 11 के लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022/9(150)2019, दिनांक 04.04.2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल प्राविधानित धनराशि रू0 90,17,000.00 (नब्बे लाख सत्रह हजार रुपये मात्र) के सापेक्ष रू0 64,50,000.00 (चौंसठ लाख पचास हजार रुपये मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या 11

लेखा शीर्षक-

2202-सामान्य शिक्षा

102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन

05-भाषा विकास

04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान

(धनराशि रुपये हजार में)

मानक मद	शीर्षक	प्राविधानित धनराशि 2021-22	जारी की जाने वाली धनराशि
	04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान		
05	वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	1100	1000

श्री. अंकुश
अधीक्षक
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
देहरादून

एक प्रतिलिपि सं० 19

02

112

08	पारिश्रमिक	1667	1650
20	लेखन सामग्री एवं छपाई	250	200
21	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	367	150
22	कार्यालय व्यय	500	500
23	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	500	500
25	उपयोगिता बिलों का भुगतान	150	150
26	कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	167	100
27	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	167	150
30	आतिथ्य व्यय	83	50
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	3533	2000
	योग	9017	6450

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण संबंधी कार्य यथा आवश्यकतानुसार आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, देहरादून द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। वर्तमान परिस्थितियों में पी0एल0ए0 नवीनीकरण की प्रक्रिया में लम्बा समय लगने के दृष्टिगत पी.एल.ए. के नवीनीकरण होने तक वर्तमान में पूर्व की भांति मात्र कार्मिकों के वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये। उपरोक्त अन्य मदों में बजट पी0एल0ए0 के नवीनीकरण के उपरान्त ही उसमें स्थानांतरित कर उपभोग किया जाये। अतः तत्काल नवीनीकरण की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें। धनराशि व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप विधिवत बजट प्रत्येक योजना हेतु पारित/अनुमोदित करा लिया गया हो।
- (3) इस अनुदान का उपभोग शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं/मदों पर ही किया जायेगा। धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों एवं औचित्य के लिये किया जायेगा, जिन मदों एवं औचित्य का प्रस्ताव संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए नहीं किया जाएगा तथा इस धनराशि का व्यय केवल चालू वित्त वर्ष के लिए ही किया जायेगा।
- (4) उक्त धनराशि व्यय किए जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022/9(150)2019, दिनांक 04.04.2022 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
- (5) आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून के पी0एल0ए0 में जमा की जायेगी। पी0एल0ए0 के नवीनीकरण कराने के पश्चात् महालेखाकार कार्यालय देहरादून द्वारा पी0एल0ए0 नवीनीकरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा।
- (6) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017, भण्डार कय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड-5

(सिद्धिपाल सिंह)
 वित्त विभाग
 देहरादून

भाग-1 आय व्यय संबंधी नियम शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(8) व्यय की सूचना प्रपत्र बी.एम-08 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराई जाए तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(9) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 05-भाषा विकास 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन-00- मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के अंतर्गत उपरोक्तानुसार अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जाएगा।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022/9(150)2019, दिनांक 04.04.2022 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Vinod Prasad
Raturi

Date: 27-04-2022 11:15:42

भवदीय,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव।

संख्या: 87 (1)/XXXIX/22-02(बजट)/2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ निम्बूवाला, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9- विभागीय आदेश पुरस्तिका।

आज्ञा से,

(बीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

2022-23

I/55865/2022

संख्या: 287 /XXXIX/22-02(बजट)/2022

प्रेषक,
विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 12 ^{अगस्त} जुलाई, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-98/02(01)/उ.भा.स./2022-23, दिनांक 18-07-2022 एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/xxvii(1)/2022, दिनांक 24.06.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 05-भाषा विकास, 102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद-08-पारिश्रमिक में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष पूर्व निर्गत शासनादेश (ऑनलाइन) संख्या-1/31469/2022, (ऑफलाइन) संख्या-87/xxxix/22-02(बजट)/2022, दिनांक 27.04.2022 द्वारा पूर्व में निर्गत धनराशि रू0 16.50 लाख (रू0 सोलह लाख पचास हजार मात्र) को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 33.50 लाख में से रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या 11

लेखा शीर्षक-

2202-सामान्य शिक्षा

05-भाषा विकास

102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन

04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान

08-पारिश्रमिक

(धनराशि रुपये हजार में)

मानक मद	शीर्षक	प्राविधानित धनराशि 2022-23	पूर्व निर्गत धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
	04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान				
08	पारिश्रमिक	5000	1650	3350	2500

धनराशि 250 ... 154 ...
18/08/2022

2- उक्त संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश (ऑनलाइन) संख्या-1/31469/2022, (ऑफ लाइन) संख्या-87/XXXIX/22-02(बजट)/2022, दिनांक 27.04.2022 एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24.06.2022 में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 05-भाषा विकास 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान, 08-पारिश्रमिक के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022/9(150) 2019, दिनांक 04.04.2022 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vinod Prasad

Raturi

Date: 12-08-2022 09:52:45

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)

सचिव।

संख्या: (1)/XXXIX/22-02(बजट)/2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ निम्बूवाला, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)

संयुक्त सचिव।

2022-23

संख्या: 371 / XXXIX/22-11(सा0) / 2022

प्रेषक,

शुचि अग्रवाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 12 सितम्बर, 2022

विषय-हिन्दी दिवस (14 सितम्बर, 2022) के आयोजन पर व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-212/उ.भा.सं./2022-23, दिनांक-17.06.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद-56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अंतर्गत वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022/09(150)-2019/दिनांक-04.04.2022 प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि रु0 35,33,000.00 (रु0 पैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष दिनांक-14 सितम्बर, 2022 को प्रस्तावित हिन्दी दिवस समारोह के आयोजन पर संगत वित्तीय नियमों के अधीन रु0 9,15,000.00 (रु0 नौ लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 05-भाषा विकास, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 00- मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद-56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अंतर्गत उपरोक्तानुसार अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022/09(150)-2019/दिनांक-04.04.2022 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Shuchi Agr. (शुचि अग्रवाल)
अनु सचिव।



शुचि अग्रवाल SINGH G O

संख्या: (1)/XXXIX/22-11(सा0)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ निम्बूवाला, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9- विभागीय आदेश पुरितका।

(शुचि अग्रवाल)
अनु सचिव।

2022-23

1/64338/2022

संख्या: 349/XXXIX/22-02(बजट)/2022

प्रेषक,

स्वाति भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।



भाषा अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 19 सितम्बर, 2022

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-157/उ.भा.सं./02(01)/2022-23, दिनांक- 25.08.2022 एवं वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 391/xxvii(1)/2022/09(150)-2019/दिनांक-24.06.2022 द्वारा प्रदत्त दिशा- निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 11 के लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 00-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान, 05-भाषा विकास, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से कुल धनराशि रू0 27.00 लाख (रू0 सत्ताईस लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नवत् अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (हजार में)

मानक मद	मद का विवरण	प्राविधानित धनराशि	पूर्व निर्गत धनराशि	शेष प्राविधानित धनराशि	वर्तमान में निर्गत की जाने वाली धनराशि
22	कार्यालय व्यय	1500	500	1000	1000
23	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	1500	500	1000	1000
27	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	150	350	200
29	गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन की खरीद	1600	-	1600	500
कुल धनराशि		5100	1150	3950	2700

(रू0 27.00 लाख मात्र)


2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक

श्री मंगल
दि

के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 00-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान, 05-भाषा विकास, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के अंतर्गत उपरोक्तानुसार अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022 /09(150)-2019, दिनांक-04.04.2022 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,


(स्वाति भदौरिया)
अपर सचिव।

संख्या: 319 (1)/XXXIX/22-02(बजट)/2022 : तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, निम्बूवाला, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by Shuchi Aggarwal
(शुचि अग्रवाल)
Date: 19-09-2022 17:01:35
अनु सचिव।

2022-23

संख्या: 19 / XXXIX/23-02(बजट) / 2022

प्रषक,

स्वाति एस. भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 25 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्राक-515/82/उ.भा.स./2022-23, दिनांक 02.11.2022 एवं वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1) / 2022/09(150)-2019/दिनांक-04.04.2022 एवं तत्कम में निर्गत शासनादेश संख्या-391/09(150)-2019/xxvii(1)/2022, दिनांक-24.06.2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 1.06 करोड़ के सापेक्ष पूर्व निर्गत धनराशि रू0 29.15 लाख के अतिरिक्त तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या 11

लेखा शीर्षक-

2202-सामान्य शिक्षा

05-भाषा विकास

102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन

04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान

56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)

(धनराशि रूपये हजार में)

मानक मद	शीर्षक	प्राविधानित धनराशि 2022-23	पूर्व निर्गत धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
	04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान				
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	10600	2915	7685	3000

पत्र प्राप्त सं० 374

पत्रावली सं०


पत्र प्राप्त तिथि: 31/01/2023

2- उक्त संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश (ऑनलाइन) संख्या-1/31469/2022, (ऑफ लाइन) संख्या-87/XXXIX/22-02(बजट)/2022, दिनांक 27.04.2022, शासनादेश संख्या-371/XXXIX/22-11(सा0)/2022, दिनांक 12.09.2022 एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII (1)/2022, दिनांक 24.06.2022 में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 05-भाषा विकास 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेंतन) के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 236/xxvii(1)/2022/9(150) 2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII (1)/2022, दिनांक 24.06.2022 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,



(स्वाति एस. मदौरिया)
अपर सचिव।

संख्या: 1/XXXIX/22-02(बजट)/2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ निम्बूवाला, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव।